न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष.

निगरानी प्रकरण कमांक 3932–दो / 13 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–9–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 39 / अपील / 2012–13.

....

दुलेसिंह पिता माधवसिंह राजपूत
निवासी ग्राम पितावली तहसील हातोद
जिला इंदौर
.... आवेदक

विरूद्ध

1 गीताबाई पति हेमगिर, जाति गुसाई
2 कमल पिता हेमगिर जाति गुसाई
3 मुकेश पिता हेमगिर जाति गुसाई
सभी निवासी ग्राम अटावदा तहसील हातोद
जिला इंदौर
4 शिवकन्याबाई पिता हेमगिर पति नुतनगीर
निवासी ग्राम कायथा तहसील तराना जिला उज्जैन
5 श्रीमती कांताबाई पति हेमगिर
निवासी नंदबाग कॉलोनी, इंदौर ....अनावेदकगण

....

श्री विजय गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 से 4
श्री एस0 के0 ओझा, अभिभाषक अनावेदक कमांक 5

....

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 4 दिसम्बर, 2014)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–9–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 एवं 5 के पति तथा अनावेदक कमांक 2, 3 एवं 4 के पिता स्वर्गीय हेमगिर द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम अटावदा स्थित उसके स्वामित्व की भूमि खाता कमांक 246 रकबा 45.60 एकड़ राजस्व अभिलेख में उसके नाम दर्ज है । उक्त भूमि का बंटवारा किया जाकर स्वर्गीय हेमगिर को 40.77 एकड़ भूमि तथा गीताबाई बेवा हेमगिर को 4.83 एकड़ भूमि बंटवारे में दी जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 20–12–1983 को आदेश पारित कर बंटवारा स्वीकृत किया गया । तदानुसार राजस्व अभिलेख में नाम भी अंकित हो गया है और वर्ष 1986 तक अंकित रहा । वर्ष 1986–87 लगायत 1989–90 के खसरे पांचशाला में तहसीलदार के आदेश दिनांक 15–7–1986 से अनावेदिका कमांक 5 श्रीमती कांताबाई का नाम अंकित होने पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 17–4–2012 को प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 8–10'2012 को आदेश पारित कर अपील सारहीन होने से निरस्त की जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के नाम नामांतरण स्वीकृत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–9–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 8–10–2012 निरस्त किया

जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है और उक्त भूमि हेमगिर द्वारा अपनी पत्नी कांताबाई को दी गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि हेमगिर द्वारा व्यवहार न्यायालय में स्वत्व घोषणा बाबत व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था । उक्त व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 74ए/87 में दिनांक 11–7–1995 को आदेश पारित किया जाकर अनावेदिका क्रमांक 5 कांताबाई की बिना अनुमति के हेमगिर को स्वत्व घोषणा का पात्र नहीं माना गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 5 कांताबाई का नाम वर्ष 1986 में दर्ज होने के उपरान्त वर्ष 1998 तक हेमगिर की मृत्यु होने तक अनावेदकगण अथवा हेमगिर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा पुनः व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया, जो कि प्रचलित है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि हेमगिर द्वारा जो व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था, उसमें हेमगिर द्वारा इकरारनामा एवं खसरे की प्रति भी प्रस्तुत की गई है, जिस पर व्यवहार न्यायालय द्वारा विचार कर आदेश पारित किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि अनावेदिका क्रमांक 5 को भरण पोषण हेतु दिये जाने एवं कब्जा सोपे जाने से उसे भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये है । यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कांताबाई के नाम की प्रविष्टि के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, परन्तु प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के हुये नामांतरण को चुनौती नहीं दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पंजीकृत विक्रय पत्र की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अंत में तर्क

प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष कांताबाई के स्वत्व के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा निष्कर्ष निकालने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । तर्क के समर्थन में 1996 (1) एमपीडब्लूएन (सु0को0) नोट नंबर 110, 1999 राजस्व निर्णय 418, एआईआर 1996 सु0को0 855, 2013 (1) एमपीडब्लूएन 29 एवं एआईआर 1977 सु0को0 1944 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषकों द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 20–12–1983 को वास्तव में प्रश्नाधीन भूमियों का बंटवारा हेमगिर एवं गीताबाई के मध्य हुआ था, परन्तु बंटवारा प्रकरण क्रमांक 16/अ–27/83–84 में पारित आदेश दिनांक 20–12–1983 के पालन में गीताबाई के स्थान पर कांताबाई का नाम दर्ज कर दिया गया, जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि जिस नामांतरण आदेश दिनांक 15–7–1986 में पारित आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेख में कांताबाई का नाम दर्ज किया गया है, वह आदेश उपलब्ध ही नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि कांताबाई के नाम की प्रविष्टि बिना किसी आदेश के मनमाने तौर से की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांतरण के आदेश दिये गये है, जिसका क्षेत्राधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय से अनावेदकगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्थिति इस

प्रकार है कि स्वर्गीय भूमिस्वामी हेमगिर के नाम कुल 45.60 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज थी । उसके द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 20–12–1983 से बंटवारा कराया जाकर स्वंय के हिस्से में 40.77 एकड़ एवं गीताबाई के हिस्से में 4.83 एकड़ भूमि बंटवारे में दी गई, तदनुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि हो गई । तत्पश्चात तहसीलदार के आदेश दिनांक 15–7–1986 से प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 263 रकबा 0.308 एकड़ एवं सर्वे कमांक 498/2 रकबा 4.452 एकड़ पर अनावेदक कमांक 5 कांताबाई का नाम दर्ज हो गया । अनावेदक कमांक 5 कांताबाई का नाम दिनांक 22–9–1986 को स्वर्गीय हेमगिर एवं कांताबाई के मध्य हुये राजीनामे के आधार पर दर्ज हुआ । इसके बाद स्वर्गीय हेमगिर द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 देपालपुर के समक्ष कांताबाई के विरूद्ध स्वत्व घोषणा सहित स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि कांताबाई कुछ वर्षों से अपने पिता के पास रहने चली गई है और वापस नहीं आई है तथा उसके द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 250/–रूपये भरण पोषण का आदेश हुआ है । रिश्तेदारों के समझाने पर दिनांक 22–9–1986 को समझौता हुआ है, जिसमें अटावदा का मकान व प्रश्नाधीन जमीन उसको दी गई है और समझौते के अनुसार कांताबाई अपनी पुत्रियों सहित हेमगिर के पास रहने लगी थी, परन्तु वह फिर से अपने पिता के यहां चली गई है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि उसके नाम हो गई है, इसलिये वह डिकी चाहता है । व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 11–7–1995 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि कांताबाई स्वर्गीय हेमगिर की विवाहिता पत्नी है और स्वर्गीय हेमगिर द्वारा कांताबाई एवं उसके नाबालिग बच्चियों के भरण पोषण हेतु जो मकान एवं भूमि दी गई थी वह उसके नाम पर हो गई है। उक्त जमीन लिखित राजीनामे के द्वारा कांताबाई को दिये जाने से

उसके नाम हो गई है । अब स्वर्गीय हेमगिर को डर है कि कांताबाई के नाम पर हुई जमीन वह किसी को विक्रय नहीं कर दे, इसलिये यह वाद प्रस्तुत किया गया है और इसका विरोध कांताबाई द्वारा नहीं किया गया है । चूँकि स्वर्गीय हेमगिर द्वारा कांताबाई को भूमि उसके व उसकी नाबालिग पुत्रियों के भरण पोषण हेतु दी गई है, इसलिये बिना वैध कारण के अपने नाम से नहीं करा सकता है, क्योंकि कांताबाई स्वर्गीय हेमगिर की विवाहिता पत्नी है और वह अभी जीवित है, अतः बिना कांताबाई की अनुमति के स्वर्गीय हेमगिर स्वत्व घोषणा का पात्र नहीं है, इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि बिना स्वर्गीय हेमगिर के सहमती के किसी को विक्रय नहीं की जायेगी । उक्त आदेश के विरूद्ध स्वर्गीय हेमगिर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा ही कोई कार्यवाही की गई है और राजस्व अभिलेख में निरंतर कांताबाई का नाम दर्ज चलता रहा । वर्ष 1998 में स्वर्गीय हेमगिर की मृत्यु हो गई । इसके पश्चात अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा अनावेदक कमांक 5 सहित अन्य के विरूद्ध स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु व्यवहार न्यायाधीश देपालपुर के समक्ष व्यवहार वाद कमांक 21ए / 2008 प्रस्तुत किया गया । उक्त व्यवहार वाद में व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 23–3–2009 को आदेश पारित कर अनावेदकगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । उक्त आदेश की अपील 18 वे अपर जिला न्यायाधीश, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर 18 वे अपर जिला न्यायाधीश, इंदौर द्वारा दिनांक 25–3–2010 को आदेश पारित कर अपील सव्यय निरस्त की गई । इस बीच दिनांक 3–10–2009 को कांताबाई द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय आवेदक को कर दिया गया और तदनुसार राजस्व अभिलेख में उसका नामांतरण भी स्वीकृत हो गया । तत्पश्चात अनावेदक

क्रमांक 1 लगायत 4 द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 15–7–1986 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 17–4–2012 को 25 वर्ष से भी अधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है एवं अपील के साथ तहसील न्यायालय के आदेश की सत्य प्रतिलिपि भी प्रस्तुत नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 8–10–2012 को आदेश पारित कर अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 की अपील इस निष्कर्ष के साथ निरस्त करते हुये आवेदक का नामांतरण स्वीकृत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 द्वारा तहसील न्यायालय के मूल आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर राजस्व अभिलेख में की गई प्रविष्टि के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है एवं सत्य प्रतिलिपि से छूट हेतु संहिता की धारा 48 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–9–2013 को आदेश पारित कर मुख्य रूप से यह निष्कर्ष निकालते हुये कि अनावेदक क्रमांक 5 कांताबाई द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर उसका नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किया जाये । राजस्व अभिलेख में तथा कथित नाम अंकित होने पर किसी भी व्यक्ति को कोई स्वत्वाधिकार प्राप्त नहीं होता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में बिना विधिक अधिकार के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय की गई प्रश्नाधीन भूमि के नामांतरण संबंधी आदेश पारित किया गया है, यह आदेश उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वत्व के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है । संहिता की धारा 109 के अंतर्गत नामांतरण का अधिकार तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति को वैध स्वत्व प्राप्त हो । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कांताबाई का नाम वर्ष 2010–11 की खसरा पांचशाला में अंकित

होने के आधार पर उसके द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया विक्रय उचित मानते हुये नामांतरण का आदेश दिया गया है, जबकि विक्रेता कांताबाई के स्वत्व के बारे में कोई जांच नहीं की गई है, वैसे भी संहिता की धारा 109 / 110 के अंतर्गत बनें नामांतरण नियमों के तहत नामांतरण के अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है । अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई है । उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा विधि एवं प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है । कारण अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि अनावेदिका कमांक 5 कांताबाई द्वारा तहसील न्यायालय में ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये । राजस्व अभिलेखों में तथाकथित नाम अंकित होने पर किसी भी व्यक्ति को कोई स्वत्वाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में बिना विधिक अधिकार के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय की गई प्रश्नाधीन भूमि के नामांतरण संबंधी आदेश पारित किया गया है, जो कि क्षेत्राधिकार रहित है । इस संबंध में जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि हेमगिर द्वारा व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत व्यवहार वाद कमांक 74 ए / 87 में स्वयं स्वीकार किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमियां उसके द्वारा लिखित समझौतानामा दिनांक 22–9–86 से अनावेदिका कमांक 5 कांताबाई एवं उसकी नाबालिग पुत्रियों के भरण–पोषण हेतु दी गई है, और उक्त भूमियों पर उसका नाम अंकित हो गया है, इसी आशय का निष्कर्ष व्यवहार न्यायालय द्वारा भी पारित आदेश दिनांक 11–7–95 में निकाला गया है । अतः यह मान्य नहीं किया जा सकता है कि राजस्व अभिलेखों में अनावेदिका कमांक 5 कांताबाई का नाम बिना किसी स्वत्व और बिना किसी आदेश के दर्ज किया गया है । यदि बिना किसी आदेश एवं बिना किसी स्वत्व के अनावेदिका कमांक 5 कांताबाई का नाम दर्ज किया गया होता

तो निश्चित रूप से स्व. हेमगिर तत्समय उक्त प्रविष्टि को निरस्त कराने हेतु कार्यवाही करते । यहां यह भी विचारणीय प्रश्न है कि वर्ष 1998 में स्व. हेमगीर की मृत्यु होने के उपरांत वर्ष 2012 तक अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा भी राजस्व अभिलेखों में अनावेदिका कमांक 5 कांताबाई के नाम से अंकित प्रविष्टि निरस्त कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई । जब अनावेदिका कमांक 5 कांताबाई द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का विकय आवेदक को कर दिया गया, और उसका नामांतरण हो गया, साथ ही प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 को व्यवहार न्यायालय से कोई राहत प्राप्त नहीं हुई, तब उनके द्वारा बाद की सोच के कारण वर्ष 2012 में लगभग 25 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो कि अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने के कारण ही हस्तक्षेप योग्य नहीं थी । उनका यह निष्कर्ष भी पूर्णतः विधि विपरीत है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका कमांक 5 कांताबाई का नाम वर्ष 2010–11 में खसरा पांचसाला में अंकित होने के आधार पर उसके द्वारा विकय पत्र निष्पादन को उचित मानते हुए आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश दिया गया है, और विकेता अनावेदिका कमांक 5 कांताबाई को प्रश्नाधीन भूमि में प्राप्त स्वत्व की वैधता की जांच नहीं की गई है, वैसे भी संहिता की धारा 109 एवं 110 के अंतर्गत बने नामांतरण नियमों के तहत तहसीलदार को नामांतरण का अधिकार है । क्योंकि इस संबंध में जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि व्यवहार न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11–7–95 में अनावेदिका कमांक 5 कांताबाई का प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व पाते हुए स्व. हेमगीर के पक्ष में स्वत्व घोषण की डिकी प्रदान नहीं की गई है । यदि यह मान भी लिया जाये कि स्व. हेमगीर द्वारा अपनी विवाहित पत्नी को प्रश्नाधीन भूमियों उसके एवं उसकी नाबालिग पुत्रियों के भरण–पोषण के लिए दी गई थी, तब भी 1996 (1) M.P.W.N. (SC)

110 नजर सिंह विरूद्ध जगजीत कौर में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

''हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956–धारा 14–भरणपोषण के मामले में समझौते में निर्बंधित संपदा अनुदत्त–उसको कब्जा सौंपा जाने के पश्चात उसकी आत्यंतिक संपदा हो जाती है–समझौते के अधीन निर्बंधन अस्तित्वहीन हो जाता है ।''

इसी प्रकार 2013 (1) M.P.W.N. (HC) 29 पंधारी विरूद्ध रामचन्द्र में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

''हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956–धारा 14 (1)– मृतक हिंदू महिला को उसके पूर्व–विद्यमान अधिकार के बदले डिक्री के अधीन संपत्ति में सीमित अधिकार प्रदान किया गया–वह धारा 14 (1) के अधीन पूर्ण स्वामिनी के अधिकार अर्जित करती है ।''

1999 आर.एन. (HC) 418 नीराबाई तथा एक अन्य विरूद्ध राजस्व मंडल तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

''धारा 109 तथा 110–कृषिक भूमि पत्नी को भरणपोषण के लिए प्रदत्त–उसको पूर्ण स्वामित्व का अधिकार अर्जित हो जाता है–ऐसी भूमि पर उसका नाम नामांतरित होगा–यदि अन्य नातेदारों द्वारा प्रदत्त हो–उसे भूमिस्वामी अधिकार अर्जित हो होते ।''

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में भी अनावेदिका क्रमांक 5 कांताबाई को प्रश्नाधीन भूमि पर पूर्ण भूमिस्वामी स्वत्व विक्रय दिनांक को प्राप्त थे, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अनावेदिका क्रमांक 5 कांताबाई के स्वत्व की जांच करने का कोई औचित्य नहीं था । इसके अतिरिक्त पंजीकृत विक्रय पत्रों की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं होने से और पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर नामांतरण करने हेतु राजस्व न्यायालयों के बाध्य होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का नामांतरण स्वीकार करने में पूर्णतः विधि के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की गई है । जहां तक अपर आयुक्त के इस निष्कर्ष का प्रश्न है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का

नामांतरण स्वीकार करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है, क्योंकि उक्त अधिकार तहसीलदार को प्राप्त हैं, मान्य किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि संहिता में दिनांक 30–12–2011 को हुए संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 49 में अपीलीय न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित किए जाने के अधिकार समाप्त किए जाकर अंतिम निराकरण किए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है । अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ऊपर की गई विवेचना के परिप्रेक्ष्य में मान्य नहीं किया जा सकता है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–9–2013 निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हातोद जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–10–2012 की पुष्टि की जाती है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर